



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 647 सन् 2026

डॉ. आनंद वर्मा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : जैनैंद्र कुमार मिश्रा, प्रियंशु मिश्रा

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., शिव कुमार पाल

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. आज जब वाद को विचारार्थ लिया गया, तब प्रतिवादियों के अधिवक्ता श्री शिव कुमार पाल की ओर से, उनके स्थान पर उपस्थित अधिवक्ता श्री चंद्र प्रकाश यादव (एओआर संख्या ए/सी 0081/12) ने यह वक्तव्य दिया कि वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई समाप्ति आदेश दिनांक 06.01.2026 को दिनांक 19.01.2026 के आदेश द्वारा वापस ले लिया गया है। अतः रिट याचिका निरर्थक हो गई है और इसे इसी आधार पर खारिज किया जा सकता है।
2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने उक्त कथन पर कोई आपत्ति नहीं की।
3. तदनुसार, रिट याचिका को निरर्थक हो जाने के कारण खारिज किया जाता है।
4. आज प्रस्तुत निर्देशों को अभिलेख पर लिया जाता है तथा उन्हें परिशिष्ट 'ए' के रूप में अंकित किया जाता है।

जनवरी 28 , 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"